कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

नगर विकास एवं आवास विभाग
13 MAY 2013
बिहार सरकार, पटना

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/143441069 दिनांकः– 9/5/2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत केसरिया के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 471/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
29/05/2013
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत केसरिया
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या–471/12–13
(अवधि– 2010–11 से 2011–12 तक)

1 **प्रस्तावना**

केसरिया नगर पंचायत के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लेखाओं की नमुना लेखा परीक्षा प्रधान, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 03.12.12 से 15.12.12 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

मुख्य पार्षद

(i)	श्रीमति रंभा देवी	01.04.10 से 31.03.12

उप मुख्य पार्षद्

(i)	श्री राजेन्द्र सिंह	01.04.10 से 31.03.12

कम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
(i)	श्री नुरूल हक सिवानी	01.04.10से 29.04.10
(ii)	श्री प्रमोद कुमार	29.04.10 से 31.03.12

3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – I तथा लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किए गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिषट II में दी गयी है।

4 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2008–09 एवं 2009–10) का अनुपालन प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में उपस्थापित किया गया अतः शेष पुर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन नगर पंचायत बोर्ड से पारित करवाकर यथाशीध्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

30)

5 प्रमुख लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	13	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं :– ₹42730.20
2	14	सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं:–₹38955.00
3	15	संचार (मोबाइल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं ₹312000.00 शुल्क बकाया रहना।
4	16	₹91593/– कम स्टाम्प शुल्क की वसूली.
5	17	जमानत राशि जब्त नहीं करने से नगर पंचायत को ₹104500.00 की हानि।
6	18	अग्रधन की राशि वापस कर देने के कारण नगर पंचायत को ₹12380 की हानि
7	19	विवादित जमीन पर किये गये अधुरे निर्माण पर किये गये कुल व्यय ₹179463/–(संवेदक को भुगतान +वैट +रॉयल्टी +आयकर की राशि) निष्फल
8	21	अधिक भुगतान :– ₹50000/–
9	22	आवश्यकता से अधिक मात्रा में कार्य किये जाने के कारण संवेदक को कुल ₹41442.00 का अधिक भुगतान
10	24	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय ₹776131.00
11	25	श्रम उपकर की कटौती नहीं: ₹135963.76

6 आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर पंचायत के लेखाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली,1928 के नियम 20, 30 तथा 36 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली 1951 के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं। नियमावली में दी गयी जाँच प्रकिया का उद्धेश्य लेखा परीक्षा के समुचित संधारण तथा समन्वयन के साथ – साथ त्रुटियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच नहीं की गयी, जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पायी गयी, जिसकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गयी है। यदि नगर परिषद् पदाधिकारियों द्वारा निश्चित अंतराल पर उक्त जाँच प्रकिया अपनायी गयी होती तो लेखा परीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियाँ नहीं होती।

अतः नगर परिषद् प्रशासन से यह अनुरोध है कि आंतरिक जाँच प्रकिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितता/त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

7.आय–व्यय

1 नगर पंचायत केसरिया द्वारा संधारित सामान्य रोकड़ वही, जिसमें सभी बैंक खाताओं के लेन देन की प्रविष्टि की जाती है, के अनुसार वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 का आय–व्यय निम्न है:–

वर्ष → / विवरण ↓	2010–11	2011–12
प्रा0 शेष	7425235	9226336
1 वर्ष की प्राप्ति		
(क) योजना	11511410	9181191
(ख) स्वयं श्रोत आय	272527	2835050
(ग) ब्याज	00	242190
(घ) मानदेय	140000	140000
(ड़) मुख्य/उप मुख्य पार्षद/पार्षद भत्ता	123600	61800
(च) अन्य	104700	60800
2 वर्ष की कुल प्राप्ति	12152237	12521031
3 कुल प्राप्ति	19577472	21747367
4 व्यय		
(क) योजना	9665999	3018930
(ख) वेतन/मानदेय	426330	595719
(ग) मुख्य/उप मुख्य पार्षद/पार्षद भत्ता	122150	117400
(घ) अन्य	136657	1500013
5 कुल व्यय	10351136	5232062
6 अन्त शेष	9226336	16515305

दिनांक 31.03.12 को रोकड़ वही का अन्तशेष–₹16515305/–

दिनांक 31.03.12 को बैंक खाता का अन्तशेष–

क्रम सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	दिनांक 31.03.12 को अंतशेष
1	2115829819	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केसरिया	371983
2	3172986775	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केसरिया	2233954
3	30467907990	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केसरिया	1677468
4	30502598041	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केसरिया	541805
5	31769696003	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केसरिया	190647
6	103	पी0 एल0 खाता	उपलब्ध नहीं
कुल योग			5015857

28)

अन्तर =16515305–5015857=11499448

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

1. वर्ष के अन्त में आय – व्यय विवरणी नहीं बनाया गया।
2. अन्तर का बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया।
3. पी0 एल0 खाता पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्यूक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाव नहीं दिया गया।

अतः आय–व्यय विवरणी, बैंक समाधान विवरणी एवं पी0 एल0 खाता पास बुक अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

8.वार्षिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन

नगर पंचायत, केसरिया द्वारा, बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 82 से 84 के तहत, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 तक का प्रत्येक वर्ष के लिए मदवार प्राप्तियॉ एवं मासिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने से शीर्षवार आय एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

पुनः नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 कर बजट प्राक्कलन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 तथा समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। बिना बजट तैयार किये तथा उसे बोर्ड की बैठक से पारित किये किसी भी प्रकार का व्यय करना अनियमित था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान किया गया संपूर्ण व्यय अप्राधिकृत हो गया।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष मदवार प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक, त्रैमासिक व मासिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन तैयार करवाने की दिशा में उचित व प्रभावी कदम उठाया जाय।

9.लेखाओं का संधारण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 86 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के आय–व्यय संबंधित लेखा तैयार करेगा।

नगर पंचायत केसरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 के लिए तैयार की गयी, आय–व्यय से संबंधित लेखा, लेखा परीक्षा में जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 88 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार कराएगा, जिसमें नगरपालिका लेखा के मुद्दे, पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं अदायगी अन्तर्विष्ट होगी।

अधिनियम की धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों (Assets & Liabilities) से संबंधित तुलना पत्र (Balance Sheet) तैयार कराएगा।

अधिनियम की धारा 90 के आलोक में धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत तैयार किया गया वित्तीय विवरण एवं तुलना पत्र मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे समिति जाँचोपरांत स्वीकृति प्रदान कर लेखा परीक्षक के पास भेज देगी।

अधिनियम की उक्त धाराओं के अन्तर्गत संधारित वित्तीय विवरण एवं तुलना पत्र जो कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा अंगीकृत किया गया हो, लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

10.सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके कारण पूर्व वर्ष की अव्ययित अनुदान, वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान, अनुदान का व्यय एवं वर्षान्त पर अव्ययित अनुदान राशि की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यय उन्हीं उद्धेश्यों हेतु किया गया जिसके लिए अनुदान प्राप्त था।

फिर भी, रोकड़ पंजी, सहायक रोकड़ पंजी, आवंटन पंजी, जमा निकासी पंजी में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में नगर पंचायत को कुल ₹21242189/– अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट -IIIपर)

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः अनुदान पंजी का उचित रूप से संधारण कर एव प्राप्त अनुदानों में से किये गये व्यय की उपयोगिता प्रमाणपत्र अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

11.कम/नहीं जमा

विविध रसीद द्वारा वसूली गयी राशि का बैंक में जमा देखने के क्रम में पाया गया कि श्रीमति मंजु कुमारी , सहायक (संविदा) द्वारा वसूली गयी राशि ₹273/– नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। विवरण निम्न है–

क्रम सं0	रसीद सं0/तिथि	वसूली गयी राशि	नहीं जमा
1	571–600/16.04.12 से 31.08.12	133	133
2	701–723/31.08.12 से 17.10.12	140	140
कुल योग		273	273

लेखा परीक्षा के आलोक में उपर्यूक्त राशि नगर पंचायत निधि में जमा किया गया। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ ईण्डिया, केसरिया, खाता सं0 855 में जमा पर्ची द्वारा दिनांक 8.12.12 को जमा किया गया।

12.संपदा पंजी का संधारण नहीं

नगर पंचायत केसरिया द्वारा संपदा पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके कारण नगर पंचायत के वास्तविक संपत्ति की जानकारी नहीं हो सकी। संपदा पंजी के नहीं रहने से नगर पंचायत के संपत्ति पर अतिक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जबाब दिया गया कि संपदा पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।

अतः संपदा पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

13.शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं (0.43 लाख)

शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर (होल्डिग टैक्स) के 50% की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नगर निकाय द्वारा वर्ष 2010–11एवं 2011–12 के दौरान ₹47478.00 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूली गयी। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकायों को वसूल किये गये राजस्व में से 10% वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाते में जमा करना था परन्तु इसे जमा नही किया गया। उक्त मदों में सरकारी खातें में जमा नहीं की गयी राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

विवरण	शिक्षा उपकर की राशि (₹)	स्वास्थ्य उपकर की राशि (₹)	कुल योग (₹)
वर्ष 2010–11			
कुल राजस्व	6004	6004	12008
घटावः वसूली प्रभार	600.40	600.4	1200.80
सरकारी खाते में नहीं जमा राशि	5403.60	5403.60	10807.20
वर्ष 2011–12			
कुल राजस्व	17735	17735	35470
घटावः वसूली प्रभार	1773.50	1773.50	3547
सरकारी खाते में नहीं जमा राशि	15961.50	15961.50	31923

नगर पंचायत द्वारा ₹42730.20 (10807.20+31923) सरकारी खाते में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य व्ययों पर किया गया ।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर ₹42730.20 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

14.सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं (₹0.39 लाख)

होल्डिंग (सम्पत्ति) कर से सम्बन्धित मॉग एवं वसुली पंजी नगर निकाय में असंधारित थी। जिसके कारण करों की मॉग, संग्रहण तथा बकाया की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी, हालॉकि, नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार दिनांक 31.03.12 तक नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भवनों पर ₹38955.00 होल्डिग कर के रूप में बकाया थी।

24)

उपर्यूक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः उपर्यूक्त बकाया राशि ₹38955.00 वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय। भवन कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

15.संचार (मोबाइल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं ₹3120000.00 शुल्क बकाया रहना

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹30000.00प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹ 8000/– प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपयुर्क्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर्यूक्त वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत आठ मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे। अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर ₹ 312000/–शुल्क बकाया था।

उपर्यूक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः वकाया राशि ₹ 312000/– मोबाइल टावर मालिकों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

16.सैरात बन्दोवस्ती का निबन्धन नहीं किए जाने से सरकारी राजस्व की हानि ₹0.92 लाख

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/Re/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा I.G Registration बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2012 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में किए गये बन्दोबस्ती की कुल बन्दोवस्ती की राशि का तीन प्रतिशत राशि स्टाम्प शुल्क के आधार पर बन्दोवस्ती का निबंधन किया जाना है। यह राशि राज्य सरकार के निबंधन विभाग के आय के श्रोत है।

नगर पंचायत, केसरिया में वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिए सैरातों की बन्दोवस्ती बिना एकरारनामा किये की गई, जिसमें स्टांप शुल्क के रूप में मामुली रकम वसूली गयी। जिसके कारण राज्य सरकार को स्टांप शुल्क मद में ₹91593 की हानि हुई, जिसका विवरण निम्न है :–

वर्ष 2010–11

क्रम सं0	सैरातों का नाम	बन्दोवस्ती की राशि	भुगतेय स्टॉम्प शुल्क	प्रयुक्त स्टाम्प की राशि	हानि	बन्दोवस्तधारी
1	मेन रोड केसरिया वाहन पड़ाव	475000	14250	शुन्य	14250	श्री ओम नारायण प्रसाद,पिता–स्व0 रघुनाथ प्रसाद,केसरिया
2	विज्ञापन शुल्क	7600	228	शुन्य	228	श्री रामइकवाल पाठक, पिता– बैजनाथ पाठक, केसरिया
वर्ष 2011–12		–	–	–	–	–
3	मेन रोड केसरिया वाहन पड़ाव	441500	13245	3268	9977	श्री रमन कुमार सिंह, केसरिया
4	विज्ञापन शुल्क	8400	252	62	190	श्री विजय कुमार जायसवाल, केसरिया
5	बालु,गिटी, छड़ दुकान एवं चौकी गमटी से टाल वसूली	75000	2250	555	1695	श्री धनेश पाठक, पिता –भाग्य नारायण पाटक, केसरिया
वर्ष 2012–13						
6	मेन रोड केसरिया वाहन पड़ाव	2175100	65253	शुन्य	65253	श्री रमन कुमार सिंह, केसरिया
कुल योग					91593	

एकरारनामा नहीं किये जाने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

अतः एकरारनामा नहीं किये जाने के कारणों से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय। साथ ही कम वसूल की गयी स्टॉम्प शुल्क की राशि ₹91593 को वसूल कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

17.वाहन पड़ाव बन्दोबस्ती वर्ष 2011–12 में जमानत राशि जब्त नहीं करने से हानि ₹1.05 लाख

संचिका के अवलोकन से पता चला कि "मेन रोड केसरिया वाहन पड़ाव" के वर्ष 2011–12 के लिए बन्दोवस्ती की आम सूचना दिनांक 10.03.11 को, पत्रांक 120 दिनांक 10.03.2011 के माध्यम से दी गई। डाक के लिए समय दिनांक 24.03.11 को 12.30 PM निर्धारित किया गया। दिनांक 24.03.11 को बोली गयी डाक में उच्चतम डाकवक्ता श्री रौशन कुमार, पिता श्री राम नाथ, केसरिया को "मेन रोड केसरिया वाहन पड़ाव" की वर्ष 2011–12 के लिए बन्दोबस्ती ₹1705101/–में किया गया।

विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार श्री रौशन कुमार को डाक बोली की आधी राशि तुरन्त जमा करना था। परन्तु उसी दिन 4:34 बजे इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया कि वह राशि जमा करने में असमर्थ हैं। अतः उन्हें राशि जमा करने के लिए एक दिन का मोहलत दिया जाय। परन्तु नगर पंचायत द्वारा

22)

उन्हें एक दिन का मोहलत नहीं दिया गया एंव बंदोबस्ती को रद्ध कर दिया गया। साथ ही बंदोबस्ती के समय जमा की गयी जमानत की राशि ₹104500.00 भी वापस कर दिया गया।

पुनः दिनांक 23.05.11 को नये सिरे से डाक बोला गया, जिसमें उच्चतम डाकवक्ता श्री रमन कुमार सिंह, केसरिया को दिनांक 01.06.11 से दिनांक 31.03.12 तक (10 माह) की अवधि के लिए ₹441400/– में उपर्युक्त वाहन पड़ाव का बंदोबस्ती किया गया। दिनांक 01.04.11 से दिनांक 31.05.11 तक के लिए बंदोबस्ती वर्ष 2010–11 के बंदोबस्तदार श्री ओम नरायण प्रसाद को ₹43925/– प्रति माह की दर से कर दी गयी।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

(i) बंदोबस्ती के शर्तों को पुरा नहीं करने पर बंदोबस्तदार को उनकी जमानत राशि किस आधार पर वापस किया गया।

(ii) दिनांक 01.04.11 से दिनांक 31.05.11 तक के लिए बंदोबस्ती वर्ष 2010–11 के बंदोबस्तदार श्री ओम नरायण प्रसाद को ₹43925/– प्रति माह की दर से कर दी गयी। लेखा परीक्षा में यह बताया नहीं गया कि किस आधार पर बंदोबस्ती की राशि तय की गयी थी

उपर्यूक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।
अतः जमानत की राशि जब्त नहीं करने से हुई हानि ₹104500.00 की वसूली संबंधित/ जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय तथा पूरे प्रकरण की विभागीय जॉच की जाये।

18.सफाई उपस्करों के क्रय में अग्रधन राशि जब्त नहीं ₹0.12 लाख

सफाई उपस्कर से संबंधित संचिका के जाँच में पाया गया कि 12 वीं एवं 13वीं वित्त मद से सफाई उपस्कर यथाः– हाइड्रोलिक ट्रेलर, हाथ ठेला फाईवर वॉडी एवं कुड़ादान फाईवर की खरीद हेतु हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र में निविदा सूचना प्रकाशित की गयी। निविदा खोलने के बाद सबसे कम दर प्रायोजित निविदादाता श्री दुर्गा इन्टरप्राइजेज कंकड़बाग, पटना को सफाई उपस्कर आपूर्ति के लिए दिनांक 21.04.11 को आपूर्ति आदेश दिया गया।

परन्तु दुर्गा इन्टरप्राईजेज द्वारा दिनांक 02.05.11 को सामग्री आपूर्ति से पूर्व चार लाख रू0 अग्रिम माँगा गया। कार्यपालक पदा0 द्वारा Revised Bihar Financial Rule 2005 का हवाला देते हुए वर्णित किया गया कि किसी भी फर्म को राशि की अदायगी आपूर्ति के पश्चात् ही की जायेगी। साथ ही यह भी कहा गया कि निविदा के शर्तों में भी अग्रिम देने का प्रावधान नहीं था। फलतः दुर्गा इन्टर प्राईजेज

को अग्रिम देने से मना कर दिया गया, एवं उनके आपूर्ति आदेश को रद्ध कर, जमा किया गया अग्रधन ₹12380, चेक सं0 099017 दिनांक 06.02.12 से वापस कर दिया गया।

पुनः उपर्यूक्त सफाई उपस्कर के अतिरिक्त गली सेक्शन मशीन के खरीद के लिए निविदाएँ प्रकाशित कर सबसे कम दर प्रायोजित निविदादाता "माँ भवानी कृर्षि केन्द्र" बारा चकिया को ट्रैक्टर एवं शेष उपस्कर की आपूर्ति के लिए "आर0 के0 इन्टरप्राईजेज" भवानीपूर जिरात, मोतिहारी को क्रमशः दिनांक 12.08.11 एवं दिनांक 22.06.11 को आपूर्ति आदेश दिया गया। आपूर्ति आदेश के आलोक में निविविदाता द्वारा सफाई उपस्कर की आपूर्ति की गयी।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँः–

1. निविदा से संबंधित एकरारनामा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
2. प्रथम निविदादाता द्वारा निविदा आदेश प्राप्त करने के बाद भी सामान की आपूर्ति नहीं किया गया ,जो निविदा के शर्तों का स्पष्ट उलंघन था। इसके बाबजूद भी उनके द्वारा जमा किया गया अग्रघन की राशि ₹12380/–को जब्त न कर ,उन्हें किस आधार पर वापस किया गया। वित्तिय नियम का उल्लेख करते हुए लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय। उपर्यूक्त लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः निविदा से संबंधित एकरारनामा अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय एवं ₹12380.00 अग्रधन की अनियमित रूप से वापसी की वसूली जिम्मेदार कर्मचारी/पदाधिकारी से की जाय।

19.बाधित योजना पर निष्फल व्यय– ₹1.79 लाख

योजना का नामः– मुख्य मंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत बाबा केसर नाथ मंदिर के निकट 8 सीट शौचालय एवं 2 सीट स्नानघर का निर्माण।

योजना सं0 08/10–11

ग्रुप सं0 :– 9

प्राक्कलित राशि :– ₹406000/–

संवेदक :– श्री आशुतोष कुमार मिश्रा

मापी की राशिः– ₹188908/–(दिनांक 23.09.10)

कर्यादेशः– ज्ञापांक 283 दिनांक 06.08.10

कार्य पुर्ण करने की अवधिः– दो माह

योजना पर व्ययः–

20)

संवेदक को भुगतान :– ₹ 165854 – चेक सं0 801302/09.11.10

वैट ₹7556

आयकर ₹4269

रॉयल्टी ₹1784

एस0 डी0₹ 9445

कुल व्यय ₹188908

कार्यादेश के दो माह बाद अंचल अधिकारी के पत्रांक 33 दिनांक 22.11.10 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को सूचित किया गया कि निर्माण स्थल विवादित है एवं जमीन वाद सं0 163/90 सुमन कुमार वनाम अन्य के नाम सब जज मोतीहारी के यहाँ चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त सम्पति पर किसी तरह का निर्माण गैरकानुनी है। अतः निर्माण कार्य तत्काल रोका जाय। परिणामस्वरूप कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 419 दिनांक 25.11.10 के माध्यम से संवेदक को निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया गया।

ध्यातव्य हो कि स्थल जाँच प्रतिवेदन में सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि प्रस्तावित कार्यस्थल सरकारी, सार्वजनिक एंव विवाद रहित है एवं स्थल जाँच कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

इस प्रकार गतल प्रतिवेदन दिये जाने के कारण योजना पर भुगतान की गई राशि ₹179463.00 निष्फल हो गई। अतः निष्फल व्यय हेतु जिम्मेदार/संबंधित व्यक्ति से राशि ₹179463.00 की वसुली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये।

20. निरस्त

21.प्राक्कलन में वर्णित कार्य का कार्यान्वयन नहीं कर अन्य मदों में कार्य का कार्यान्वय (₹0.50 लाख)

योजना का नामः– प्रखण्ड केसरिया के अन्तर्गत नगर पंचायत केसरिया के प्रखण्ड के निकट पोखर में घाट/पार्क का निर्माण कार्य।

A.N. 3/2010-11

संवेदक का नामः– श्री समीर कुमार देव

प्राक्कलित राशिः– ₹ 850000/–

मापी की राशिः–₹ 847514/–

भुगतान की राशिः– ₹ 658880/–

कटौती :– ₹ 106120/–

मदः– मुख्यमंत्री नगर विकास योजना

प्राक्कलन के अनुसार पार्क में पाइप रेलिगं, पीने का पानी की व्यवस्था, वृक्षारोपन एंव सजावट हेतु कुल ₹ 50000/– का प्रावधान किया गया था, परन्तु मापी पुस्तिका एवं प्रस्तुत चलता लेखा बिल के अनुसार इस कार्य का कार्यान्यन नहीं किया गया था। इसके बदले प्राक्कलन में वर्णित अन्य मदों का अधिक मात्रा में कार्य किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

कम सं0	प्राक्कलन में वर्णित, मदों का नाम	प्रा0 राशि	मापी मूल्य	अंतर	अंतर का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	मिट्टी खुदाई कार्य.....	32299.00	38017.00	5718.00	17.7%	———
2	लोकल बालू भराई	5465.00	6410.00	945.00	17.29%	———
3	ब्रीक फर्लेट रोलिंग कार्य	52794.00	61676.00	8882.00	16.82%	———
4	ईट भुडाई कार्य	245344.00	284769.00	39425.00	16.07%	———
				₹54970.00		

(18)

ध्यातव्य है कि मापी पुस्तिका एंव संलग्न चलता लेखा बिल के अनुसार इस कार्य का कार्यमूल्य ₹ 847514/– थी एवं इतनी ही राशि योजना पर व्यय की गयी थी। इस प्रकार संवेदक द्वारा ₹ 50000/–का कार्य प्राक्कलन के अन्य मदों पर किया गया, जो भुगतान के लिए मान्य नहीं होगा।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः संवेदक से ₹50000/–वसूलनीय है, जिसे संवेदक से वसूलकर संबंधित निधि में जमा किया जाय।

22.प्राक्कलने से अधिक मात्रा में कार्य किये जाने के कारण अधिक भुगतान ₹0.41 लाख

योजना का नामः– नगर पंचायत केसरिया अंतर्गत राम एकबाल ठाकुर के घर से अनुसूचित जाति मोहल्ला कचहरिया टोला जाने वाली सड़क में काली स्थान तक पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण।

A.N. 01/2011-12

संवेदक का नामः– श्री रौशन कुमार

प्राक्कलित राशिः– ₹ 195700/–

मापी की राशिः–₹ 194931/–(182609+12322)

भुगतान की राशिः– ₹ 194931/–

निधिः– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

प्राक्कलन के अनुसार कुल 200 फीट की लंबाई में सड़क की पी0 सी0 सी0 कार्य किया जाना था परंतु संवेदक द्वारा कुल 254 फीट में पी0 सी0 सी0 कार्य कराकर तथा चौड़ाई में अंतर कर प्राक्कलन के अधीन ही कार्य कर दिया गया था। परंतु इसके लिए न तो संशोधित प्राक्कलन तैयार किया गया न ही Deviation at site account Statement बनाया गया था।

प्रथम चलता लेखा व मापी के अनुसार कुल 244 फीट में पी0 सी0 सी0 कार्य दर्शाया गया था तथा द्वितीय चलता लेखा में 10 फीट की लंबाई में पी0 सी0 सी0 कार्य दिखाया गया था।

254 फीट में कार्य का भुगतान राशि = ₹ 194931/– थी

इस प्रकार 200 फीट में कार्य का भुगतान राशि ₹ 153489/– होगी।

अधिक भुगतान की राशि =194931–153489 =₹ 41442/–

अतः आवश्यकता से अधिक मात्रा में कार्य किये जाने के कारण संवेदक को कुल ₹41442.00 का अधिक भुगतान किया गया, जो वसूलनीय है, जिसे वसूलकर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

23.मूल्यवर्धित कर/आयकर/रॉयल्टी की राशि का कम जमा/नहीं जमा

नगर पंचायत केसरिया के योजना संचिकाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में विभिन्न योजनाओं पर ₹563212/– मूल्यवर्धित कर, ₹318207/– आयकर तथा ₹260385/– रॉयल्टी की कटौती की गयी। जिसमें ₹494532/–मुल्यवर्धित कर एंव ₹279409/– आयकर की राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया गया। शेष ₹68680/– मूल्यवर्धित कर ₹38798/–आयकर एंव ₹260385/–रॉयल्टी की राशि को जमा नहीं किया गया।(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर)

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः शेष ₹68680/– मूल्यवर्धित कर ₹38798/–आयकर एंव ₹260385/–रॉयल्टी की राशि को सरकार के संबंधित शिर्ष में जमा किया जाय।

24.दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय (₹7.76 लाख)

बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न से 1–103/87–1231/ न वि वि0 दिनांक 06.05.1992 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गयी है।

परन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अनुसार, नगर पंचायत केसरिया में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान कुल ₹776131.00 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो कि सरकार के निर्देशों के विरूद्व एवं अप्राधिकृत था(विस्तृत विवरण परिशिष्ट –V पर) ।

अतः दैनिक मजदूरी पर किए गए व्यय की सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति ली जाय तव तक ₹776131.00 लेखा परीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

25.श्रम उपकर की कटौती नहीं (₹1.36 लाख)

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0

4/एफ 1 –302/2006, श्र0 नि0 –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

परन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2010–11एवं 2011–12 के दौरान 12वीं वित्त, 13 वीं वित्त ,बी0 आर0 जी0 एफ0, मुख्य मंत्री नगर विकास योजना एवं नगर विकास एवं आवास विभाग योजना मद के कुल 26 पूर्ण योजनाओं पर नगर पंचायत केसरिया द्वारा ₹13596376.00 व्यय किया गया, परन्तु विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नही की गयी । विस्तृत विवरण निम्न है:–

क्रम सं0	मद	वर्ष	कुल पूर्ण योजनाओं की सं0	कुल व्यय (₹)
1	बी0 आर0 जी0 एफ0	2010–11	2	963510
2	12 वीं वित्त	2010–11	1	198223
3	मुख्य मंत्री नगर विकास योजना	2010–11	9	4448693
4	नगर विकास एंव आवास विभाग योजना	2010–11	8	5949954
5	बी0 आर0 जी0 एफ0	2011–12	3	965153
6	नगर विकास एंव आवास विभाग योजना	2011–12	1	498754
7	13 वीं वित्त	2011–12	2	572089
कुल योग			26	13596376

विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नही किये जाने के फलस्वरूप ₹135964.00 (13596376*1%) राशि कल्याण बोर्ड को नही भेजी जा सकी।

अतः श्रम उपकर राशि ₹135964.00 की कटौती कर राशि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को भेजा जाय तथा भविष्य में कार्यान्वित योजनाओं से श्रम उपकर की कटौती किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

26.कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखा परीक्षा के दौरान एवं लेखा परीक्षा के समाप्ति पर प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप की गयी।

27.लेखा परीक्षा परीणाम

लेखा परीक्षा के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :–

1	लेखा परीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	₹273.00
2	वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	₹927342.00
3	लेखा परीक्षा के अधीन रखी गयी राशि	₹776131.00
4	अधिभार के अधिन वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	₹00.00

विस्तृत विवरण परिशिष्ट VI पर)

28..सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेख जैसे :– माँग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। परिषद् के विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की देख –रेख तथा परिषद् कोष में उनका जमा पर पदाधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा – निर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

–हस्ता0–

संजय कु0 सिंह

(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

१५)

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत केसरिया को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतू प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

ह०

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/14354/1069-1070 दिनांकः- 9/5/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार,पटना

(ii) जिलाधिकारी, पुर्वी चम्पारण

09/05/2013

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट I

लेखा परीक्षा के दौरान जाँच किये गये अभिलेखों/पंजियों की सूचि

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में)

1. लेखापाल रोकड़ बही।
2. चेक अधपन्ना।
3. दैनिक संग्रह पंजी।
4. विविध रसीदें।
5. गृहकर रसीदें।
6. सहायक रोकड़ बहियाँ।
7. योजना संचिका।
8. भण्डार पंजी।
9. रसीदों के भण्डार पंजी।
10. बन्दोवस्ती संचिकाएँ।
11. अभिश्रव।
12. क्रय संबंधि संचिकाएँ।
13. वेतन पंजी।

परिशिष्ट II

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों/पंजियों की सूचि

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में)

1. माँग एवं वसूली पंजी।
2. कर्मचारियों के सेवा/पुस्तिकाएँ] पुस्तिकाऐं
3. भविष्यनिधि पास बुक।
4. वाद पंजी।
5. सम्पति पंजी।
6. ऋण पंजी।
7. अनुदान पंजी
8. लॉग बुक।
9. बिल पंजी।
10. बैठक पंजी।
11. कोषागार पास बुक/विवरणी।
12. रोकड़पाल रोकड़वही।
13. वार्षिक लेखा।
14. बजट।
15. अग्रिम पंजीं।
16. योजना पंजी।

HW

परिशिष्ट III

नगर पंचायत केसरिया में वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुदानों की प्राप्ति विवरणी ।

क्रम सं०	पत्रांक व दिनांक	चेक/ड्राफ्ट सं० व तिथि	राशि	उद्देश्य	जमा की तिथि CB/PB
1	2	3	4	5	6
1.	न. वि. एवं आ. वि. 1482/24.3.10	361893/29.3.10	7,50,000	पथ निर्माण हेतु	6.5.10/6.5
2.	न. वि. एवं आ. वि. 1481/24.3.10	361910/29.3.10	6,40,000	नाला निर्माण	6.5.10/6.
3.	जि. प. मु. चं. 247/15.5.10	653318/	33,000	कबीर अंत्येष्टि	7.6.10/7
4.	जि. परिषद	149587/11.6.10	1,68,622	बी. आर. जी. एफ.	3.7.10/3
5.	जिला कोषागार	327118/18.5.10	61,800	जन प्रतिनिधि भत्ता	7.7.10/
6.	न. वि. एवं आ. वि. 2031/20.4.10 69/26.4.10	बिल सं. 02/2010-11	61,800	-तदैव-	16.7.10/
7.	जि. प. पूर्वी चंपारण 454/14.6.10	752467/22.7.10	29,61,400	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	22.7.10/
8	न. वि. एवं आ. वि. 66/22.4.10	बिल सं. 01/2010-11	47,00,000	पथ निर्माण/जिर्णोद्धार	16.8.1
9	N.A.	N.A.	1,40,000	नगर प्रबंधक का मानदेय	16.11.
10	जिला परिषद	084943/23.11.10	2,47,523	बी. आर. जी. एफ.	16.12
11	जिला पदाधिकारी	752475/29.1.11	3,35,600	मु. न. वि. योजना	01.02.
12	जिला से	136833/29.1.11	1,01,200	जनगणना	02.02.11

Officer